

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक.....4.6.19.....

संख्या-7/स्था0-04-07/2019सा0प्र0.....7593...../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-26706 दिनांक 28.03.2019 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राकेश कुमार राय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, दरभंगा (सम्प्रति निलंबित) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (xi) में निहित प्रावधान के तहत सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

श्री राकेश कुमार राय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ,
दरभंगा (सम्प्रति निलंबित)

पावती

मैं..... सम्प्रति
पद का धारक उपर्युक्त बर्खास्तगी-आदेश की मूल नोटिस की प्रति स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर -

पदनाम -

स्थान -

दिनांक -

ज्ञापांक-7/स्था0-04-07/2019सा0प्र0.....7593...../पटना-15, दिनांक.....4.6.19.....
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग,
वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में)
सी0डी0 के साथ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-07/2019सा0प्र0.....7593...../पटना-15, दिनांक.....4.6.19.....
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना
को उनके पत्रांक-26706 दिनांक 28.03.2019 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार,
पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक
दिनांक 31.05.2019 में मद संख्या-08 के प्रसंग में/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/जिला एवं
सत्र न्यायाधीश, दरभंगा/पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से संबंधित
न्यायिक पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

निबंधित